



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19062020-220016
CG-MH-E-19062020-220016

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]
No. 218]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)
अधिसूचना
मुंबई, 15 जून 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2020

सं.फेमा. 395(1)/ 2020-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी] (जिसे इसके पश्चात "मूल विनियमावली" कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलाएगी।
- यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली के विनियम 3.1 में संशोधन

मूल विनियमावली के विनियम 3.1 में –

(i) अनुसूची संख्या-II में उल्लिखित मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

<p>II. अनुसूची-II (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश)</p>	<p>ए. भुगतान का माध्यम</p> <p>(1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और / अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित की गई निधियों से किया जाएगा।</p> <p>(2) जब तक कि इस विनियमावली अथवा संबंधित अनुसूचियों में अन्यतः विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, तब तक विदेशी मुद्रा खाते और एसएनआरआर खाते का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत लेनदेन के लिए किया जाएगा।</p> <p>बी. बिक्रीगत आय का विप्रेषण</p> <p>इक्विटी लिखतों और भूसंपदा निवेश न्यास (REIT), बुनियादी संरचना निवेश न्यास (InViT) तथा घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनितों की बिक्रीगत आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबंधित विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) के विदेशी मुद्रा खाते अथवा एसएनआरआर खाते में जमा किया जा सकता है।</p>
---	---

(ii) अनुसूची सं. VII के पैरा ए (2) पर मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

“जब तक कि इस विनियमावली अथवा संबंधित अनुसूचियों में अन्यतः विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, तब तक विदेशी मुद्रा खाते और एसएनआरआर खाते का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत लेनदेन के लिए किया जाएगा।”

(iii) अनुसूची सं. VIII पर मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

<p>VIII. अनुसूची- VIII (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी निवेश माध्यम में निवेश)</p>	<p>ए. भुगतान माध्यम</p> <p>प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के शेयरों को स्वैप कर के अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए अनिवासी बाह्य (एनआरई) / एफसीएनआर (बी) खातों में धारित की गई निधियों से किया जाएगा।</p> <p>साथ ही किसी एफपीआई अथवा एफवीसीआई के लिए प्रतिफल राशि का भुगतान भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए गए अथवा किए जाने वाले (प्राथमिक निर्गम) निवेश माध्यम की यूनितों की ट्रेडिंग के लिए उनके एसएनआरआर खाते में से किया जाए।</p> <p>बी. बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय का विप्रेषण</p> <p>यूनितों की बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबंधित व्यक्ति के यथा लागू अनिवासी बाह्य (एनआरई) / एफसीएनआर(बी) अथवा एसएनआरआर खातों में जमा किया जा सकता है।</p>
--	---

अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली

[विज्ञापन-III/4/असा./72/2020-21]

“पाद टिप्पणी (फुट नोट)”

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 (दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा 395/2019-आरबी) दिनांक 17.10.2019 को जी.एस.आर. सं. 795 (ई) के मार्फत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
 (CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 15th June, 2020

Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2020

No. FEMA. 395(1)/2020-RB.— In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019 [Notification No. FEMA.395/2019-RB dated October 17, 2019] (hereinafter referred to as ‘the Principal Regulations’) namely:-

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2020.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 3.1 of the Principal Regulations

In Regulation 3.1 of the Principal Regulations-

(i) The existing provision at Sl. No. II shall be substituted by the following, namely:

II. Schedule II (Investments by Foreign Portfolio Investors)	<p>A.Mode of payment (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and/ or a Special Non-Resident Rupee (SNRR) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. (2) Unless otherwise specified in these regulations or the relevant Schedules, the foreign currency account and SNRR account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule.</p> <p>B. Remittance of sale proceeds The sale proceeds (net of taxes) of equity instruments and units of REITs, InViTs and domestic mutual fund may be remitted outside India or credited to the foreign currency account or a SNRR account of the FPI.</p>
---	--

(ii) The existing provision at para A (2) of Sl. No. VII shall be substituted by the following, namely:

“Unless otherwise specified in these regulations or the relevant Schedules, the foreign currency account and SNRR account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule.”

(iii) The existing provision at Sl. No. VIII shall be substituted by the following, namely:

VIII. Schedule VIII (Investment by a person resident outside India in an Investment Vehicle)	<p>A. Mode of payment: The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or by way of swap of shares of a Special Purpose Vehicle or out of funds held in NRE or FCNR(B) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. Further, for an FPI or FVCI, amount of consideration may be paid out of their SNRR account for trading in units of Investment Vehicle listed or to be listed (primary issuance) on the stock exchanges in India.</p> <p>B. Remittance of sale/ maturity proceeds: The sale/ maturity proceeds (net of taxes) of the units may be remitted outside India or may be credited to the NRE or FCNR(B) or SNRR account, as applicable of the person concerned.</p>
---	--

AJAY KUMAR, Regional Director, New Delhi

[ADVT.-III/4/Exty./72/2020-21]

Foot Note

The Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019, (Notification No. FEMA 395/2019-RB dated October 17, 2019) was published in the Official Gazette vide G.S.R. No.795(E) dated 17.10.2019.